कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1251 / 2023 / 10–11 / 1895 भोपाल, दिनांक 20-3-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 026/2023-BHO/ दिनांक 22.11.2023

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट ने अवगत कराया है कि प्रचलित कार्य आयोजना में प्रस्तावित मार्ग वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है, परन्तु उक्त मार्ग सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट में दर्शित है एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The DFO/ User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा 04 ऑनलाईन प्रकरणों हेतु 82.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) उपलब्ध कराई गई है, जिस पर एकजाई वृक्षारोपण योजना बनाई गई है। एकजाईन रोपण योजना की KML file ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड है।

-2-

3	The DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	वन मण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट ने अवगत कराया है कि प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
4	The proposed road falls under Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Thus, comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित मार्ग टाडोबा–इंद्रावती टाइगर कॉरीडोर के अन्तर्गत होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)से अभिमत चाहा गया। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपनी अशसकीय टीप दिनांक 15.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अभिमत प्रदान किया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक होगी। इस संबंध में आवेदक संस्थान को वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु लेख किया गया है। अतः प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति में वन्यप्राणी अनुमति प्राप्त करने की शर्त अधिरोपित करने का अनुरोध है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

15.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1251 / 2023 / 10–11 / 1696 भोपाल, दिनांक 20-3-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष न -(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 1801 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1, बालाघाट
जिला– बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट उपयोग पर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / मा.चि–1 / WL/LM-15/1397, 1398 दिनांक 14.02.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 575, 576 दिनांक 19.01.2024

---00---

उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में लेख है, कि विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में पश्चिम लांजी एवं पूर्व लांजी परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342, 346 में सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 14100 मीटर रकबा 12.690 हे0 में से लगभग लम्बाई 11500 मीटर रकबा 10.350 हे0 वनक्षेत्र कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाईगर कॉरिडोर के अन्तर्गत आता है। जिसमें कार्यालयीन अभिलेखों में अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के अनुसार कक्ष क्रमांक 641, 634, 636, 637, 621, 342 में बाघ की उपस्थिति दर्ज है।

अतएव उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु Mitigation Plan, Wild life Clearance के लिये Parivesh Portal के माध्यम से प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

पृष्ठा. कमांक / मा.चि. / 1802 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयातर्गत सदर्भाकित्त तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकिंत संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

C:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\9-Sitapala, Tatikal to Kosamdehi 12.69 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. –2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2766315 फैक्स : 0755–2766315 *E-mail : pccfwl@mp.gov.in*

क्रमांक / माचि–1 / WL/LM-15 / 2281 भोपाल, दिनांक 15-3-2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–01, बालाघाट

विषय :– **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।**(प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / 67 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2024 दिनांक 05.01.2024

–––0–––––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हे0 वनभूमि व्यवपर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु क्रमांक 07– **The proposed road is part of Tadoba Indrawati Tiger corridor Regarding approval from Competent authority shall be submitted** के संबंध में अभिमत चाहा गया है।

उक्त संबंध में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सामान्य बालाघाट का पत्र क्रमांक / माचि / 1801–1802 दिनांक 05.03.2024 जोकि आपको सम्बोधित कर इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट (सामान्य)वनमण्डल के परिक्षेत्र पश्चिम लांजी एवं पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342 एवं 346 में मार्ग की कुल लम्बाई 14100 मीटर रकबा 12.690 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 11500 मीटर रकबा 10.350 हेक्टेयर वनक्षेत्र **कान्हा –नागझीरा–टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर** के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 641, 634, 636, 637, 621 एवं 342 में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित मार्ग कान्हा–नागझीरा–टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करे ताकि आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)
प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

पृ0 क्रमांक / माचि–1 / WL/LM-15 / 2282 भोपाल, दिनांक 15-3-2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन सरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

D/kalpana/wl/lm case

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
15-3

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 6808 बालाघाट, दिनांक 22/12/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट उपयोग पर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1251 / 2023 / 10-11 / 5151, 5152 दिनांक 30.11.2023

—00—

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 2825 / तक. / मप्रग्रासविप्रा / 2023 दिनांक 20.12.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 04 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	आवेदक विभाग / संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 0033 / अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड का जंगल) ग्राम-घुम्मुर, प.ह. न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25 / 1क / 1 के कुल रकबा 96.837 हे0 में से 82.00 हे0 (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे0 (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे0 (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे0 (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे0) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारो प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारो प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
3	The DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
4	The proposed road falls under Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Thus comments of CWLW shall be submitted.	आवेदक विभाग / संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित सड़क, टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\9-Sitapala, Tatikal to Kosamdehi 12.69 hac\Memo Letter.docx

पृ. क्रमांक / मा0चि0 / 6809 बालाघाट दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. आवेदक विभाग– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक–1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित संबंध में आपके पत्र क्रमांक / 2825 / तक. / मप्रग्रासविप्रा / 2023 दिनांक 20.12.2023 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\9-Sitapala, Tatikal to Kosamdehi 12.69 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट
फोन नं.–07632 240334 ई मेल–gm_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 2825 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2023 बालाघाट दिनांक 20/12/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :– 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ–5 / 1251 / 2023 / 10–11 / 5151 भोपाल दिनांक 30.11.23
2. आपका पत्र पृ. क्र. / मा.चि. / 6385 दिनांक 30.11.2023

............00..................

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रं. 2 में दिये गये निर्देशों के तहत 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The Concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2.	The DFO/ User Agency shall submit separate Proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र / 0033 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड का जंगल) ग्राम–घुम्मुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25 / 1क / 1 के कुल रकबा 96.837 हे0 में से 82.00 हे0 (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे0 (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे0 (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे0 (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे0) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारो प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारो प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक–पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
3.	The DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA area.	वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
4.	The proposed road falls under Tadoba-Indravati Tiger Corridor. Thus, comments of CWLW shall be Submitted.	प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 2826/तक/मप्रग्रासविप्रा/2023 बालाघाट, दिनांक 20/12/2023

प्रतिलिपीः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

-13-

छब्बीस-२ सचिवालय
मा. वन मंत्रीजी,
का विभाग
(कक्ष -3)

विषय : **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।**

पूर्व पृष्ठ सेः–

अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित मार्ग कान्हा–नागझीरा–टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। इस हेतु आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आन लाइन आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा संदर्भित पत्र से आवेदक संस्था को तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।

वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन/अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुये इस कार्यालय का अभिमत मूल नस्ती सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवयशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)
प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

<u>अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0</u>

U.O.NO/Peof (BC&CWL W) 272
DATE 15·3·2024

15/03/24

छब्बीस-२ सचिवालय
मा. वन मंत्रीजी,
का विभाग
(कक्ष -3)

विषय : **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।**

पूर्व पृष्ठ से:–

DFO. S. Balaghat ने पत्र क्र/6808 दिनांक 27/12/23 द्वारा प्रकरण में GOI द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की है, जो GOI को भेजने हेतु प्रारूप हस्ता. हेतु प्रस्तुत है

27/12/23

APCCF (LM)

बिन्दु क्र 4 पर CWLW का अभिमत/comments प्राप्त करने का लेख है, कृपया comments देने का कष्ट करें

27/12/23
(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र.

PCCF (Wildlife) & CWLW, MP

P.C.C.F. (W.L.) (M.P.)
28/12
U.O. No.- 646
27/12/2023
क्रमांक 21099
दिनांक 29/12/23

उक्त प्रकरण में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल द्वारा पत्र क्रमांक माचि/1801–1802 दिनांक 05.03.2024 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र पश्चिम लांजी एवं पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342 एवं 346 में मार्ग की कुल लम्बाई 14100 मीटर रकबा 12.690 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 11500 मीटर रकबा 10.350 हेक्टेयर वनक्षेत्र **कान्हा–नागझीरा–टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर** के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 641, 634, 636, 637, 621 एवं 342 में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के